न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुनरीक्षण कमांक 30-दो/2005 - विरूद्ध आदेश दि0 13-4-04 पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 76 अ-19/ 2003-04 निगरानी

महेश पुत्र कन्छेदी लोधी
ग्राम सुनवारी तहसील पवई
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 5-10-2015 को पारित)

यह पुनरीक्षण आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 76 अ-19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के हित में नायव तहसीलदार वृत्त कल्दा तहसील पवई ने प्रकरण कमांक 41 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2002 से ग्राम सुनवारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1675 रकबा 0.53 हैक्टर एंव 1676 रकबा 0.67 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम1984 के अंतर्गत किया।

अनुविभागीय अधिकारी पवई ने प्रकरण का परीक्षण करने पर भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने पर कलेक्टर पन्ना को प्रतिवेदन दिनांक 12.9.03 प्रस्तुत किया, जिस पर से आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 32/03-04 निगरानी पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वाद में प्रकरण अपर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में हस्तांतरित होने पर अपर कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण कमांक 73/2003-04 निगरानी पर पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23.2.2004 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि खसरे में म0प्र0शासन छोटा घॉस दर्ज होने के कारण नायव तहसीलदार वृत्त कल्दा तहसील पवई का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 22-5-2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 76 अ-19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2004 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक ने वही तर्क दिये हैं जो निगरानी मेमो में अंकित है। निगरानी मेमो में दिये गये विवरण के अवलोकन से एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक जाति का लोधी होकर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का नहीं है जबकि मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ-4-7/2000/7/2-ए दिनांक 19.9.2000 की

कंडिका 11 (4) में व्यवस्था दी गई है कि भूमि का बंटन/व्यवस्थापन केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को किया जावेगा। म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा-3 इस प्रकार है :-

** कृषि श्रमिकों को भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना - किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि, जो 2 अक्टूवर 1984 को किसी कृषि श्रमिक के कब्जे में हो, संहिता में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी उक्त तारीख से ऐसे व्यक्ति व्दारा भूमिस्वामी अधिकारों में धारण की जायेगी और वह कोड और तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति के समस्त प्रयोजन के लिये उक्त भूमि का भूमिस्वामी होगा -

1. परन्तु यह और भी कि इस धारा की कोई भी बात उस भूमि के संबंध में लागू नहीं होगी, जो -

(एक) कब्रस्थान तथा शमशान के लिये (दो) गोठान के लिये
(तीन) खलहान के लिये (चार) खाल निकालने के लिये
(पांच) बाजार के लिये
(छह) सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों तथा नालियों के लिये
(सात) चरागाह, घास, बीड़ या चारे के लिये ।

आवंटित की गई भूमि म0प्र0शासन छोटा घॉस के लिये आरक्षित होकर खसरे में दर्ज चली आ रही थी, जिसे नायव तहसीलदार व्दारा आवेदक के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 व्यवस्थापित करते हुये आवंटित किया है और ऐसा व्यवस्थापन/बंटन नियम विरूद्ध होने से अपर कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 23 फरवरी 2004 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है जिसके कारण आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 76 अ-19/2003-04 निगरानी में

पारित आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2004 से अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 76 अ-19/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2004 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर